



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 23.05.2025

1. थाना एक्सप्रेस-वे पुलिस द्वारा मोबाइल स्नेचिंग करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 06 मोबाइल फोन, 01 तमंचा मय 02 जिंदा कारतूस .315 बोर व घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल बरामद ।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 23.05.2025 को थाना एक्सप्रेस-वे पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए मोबाइल स्नेचिंग करने वाले 03 अभियुक्त 1. संजय प्रताप सिंह पुत्र रमेश 2. दीपक कुमार पुत्र बिरेन्द्र कुमार 3. दीपक पुत्र मुरारी लाल को डूप्लेक्स सोसाइटी की ग्रीन बेल्ट के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 06 मोबाइल फोन, अभियुक्त संजय प्रताप सिंह के कब्जे से 01 तमंचा मय 02 जिंदा कारतूस .315 बोर व घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है।

अभियुक्तों का विवरण—

1. संजय प्रताप सिंह पुत्र रमेश निवासी ग्राम जरार थाना बाह, आगरा वर्तमान पता ग्राम वाजिदपुर, सेक्टर-135 नोएडा, गौतमबुद्धनगर, उम्र करीब 22 वर्ष ।
2. दीपक कुमार पुत्र बिरेन्द्र कुमार निवासी ग्राम जरार थाना बाह, आगरा वर्तमान पता ग्राम वाजिदपुर, सेक्टर-135 नोएडा, गौतमबुद्धनगर, उम्र करीब 22 वर्ष ।
3. दीपक पुत्र मुरारी लाल निवासी ग्राम गाँवरी, थाना गभाना, जिला अलीगढ़ वर्तमान पता ग्राम भंगेल, थाना फेस-2 नोएडा, गौतमबुद्धनगर, उम्र करीब 25 वर्ष ।

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

➤ अभियुक्त संजय प्रताप सिंह पुत्र रमेश-

- 1- मु0अ0सं0 066/2025 धारा 317(2)/317(5)/307/313 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना एक्सप्रेस-वे, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ।
- 2- मु0अ0सं0 065/2025 धारा 304(2) बीएनएस, थाना एक्सप्रेस-वे, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ।
- 3- मु0अ0सं0 211/2021 धारा 323/504 भादवि, थाना बाह कमिश्नरेट आगरा ।
- 4- मु0अ0सं0 238/2020 धारा 411/420/467/468/471 भादवि 66डी आईटी एक्ट, थाना बाह कमिश्नरेट आगरा ।

➤ **अभियुक्त दीपक कुमार पुत्र बिरेन्द्र कुमार--**

- 1- मु0अ0सं0 066/2025 धारा 317(2)/317(5)/307/313 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना एक्सप्रेस-वे, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ।
- 2- मु0अ0सं0 065/2025 धारा 304(2) बीएनएस, थाना एक्सप्रेस-वे, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ।

➤ **अभियुक्त दीपक पुत्र मुरारी लाल--**

- 1- मु0अ0सं0 066/2025 धारा 317(2)/317(5)/307/313 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना एक्सप्रेस-वे, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ।
- 2- मु0अ0सं0 065/2025 धारा 304(2) बीएनएस, थाना एक्सप्रेस-वे, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ।

बरामदगी का विवरण--

- 1- 06 मोबाइल फोन ।
- 2- 01 तमंचा मय 02 जिंदा कारतूस .315 बोर ।
- 3- घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल ।